



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272573
CG-DL-E-14052026-272573

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2354]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2354]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2446(अ).— केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त संहिता के अध्याय 5 और अध्याय 6 से संबंधित उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए उन सभी प्रतिष्ठानों की विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र हेतु अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार उक्त संहिता की धारा 2 के उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन समुचित सरकार है, अर्थात्:-

क. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

ख. अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

ग. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, मुख्यालय में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

घ. सभी क्षेत्रों में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।

[फा. सं. आर-13011/06/2026-एसएस-II]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2446(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 136 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby appoints the officers mentioned below to be the Officers for the purposes of said sub-section relating to Chapter V and Chapter VI of the said Code for the area of jurisdiction specified in relation to all establishments for which the Central Government is the appropriate Government under clause (a) of sub-section (3) of section 2 of the said Code, namely:-

- a. Chief Labour Commissioner (Central)
- b. Additional Chief Labour Commissioner (Central)
- c. Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Regional Labour Commissioner (Central), Assistant Labour Commissioner (Central) and Labour Enforcement Officer (Central) in the office of Chief Labour Commissioner (Central), Headquarters
- d. Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Regional Labour Commissioner (Central), Assistant Labour Commissioner (Central) and Labour Enforcement Officer (Central) in all regions.

[F. No. R-13011/06/2026-SS-II]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.